मलेरिया के शून्य केस बरकरार रखने शहर में जुटेंगी 44 टीमें

मलेरिया उन्मूलन माह आज से शुरू : भोपाल के ग्रामीण क्षेत्रों में मलेरिया के मामले शून्य स्तर पर पहुंचे

साक्षी केसरवानी

भोपाल, 31 मई. मानसून की दस्तक से पहले राजधानी को मलेरिया मुक्त बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है. जिले में 1 जून से 30 जून तक मलेरिया उन्मूलन माह का विशेष आयोजन किया जा रहा है.

इस अभियान के तहत पूरे भोपाल जिले में मच्छरों की उत्पत्ति रोकने और स्वास्थ्य जागरूकता के लिए कई गतिविधियां संचालित की जाएंगी. लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा संचालित मलेरिया उन्मूलन अभियान के चलते भोपाल जिला पिछले 3 वर्षों में करीब शून्य मलेरिया केस दर्ज कर प्रदेश में अव्वल स्थान पर बना हुआ है.

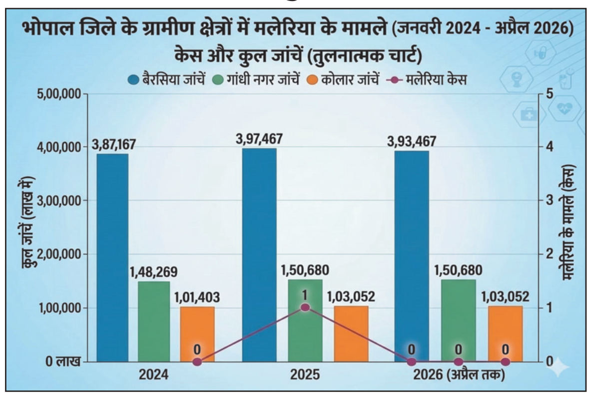

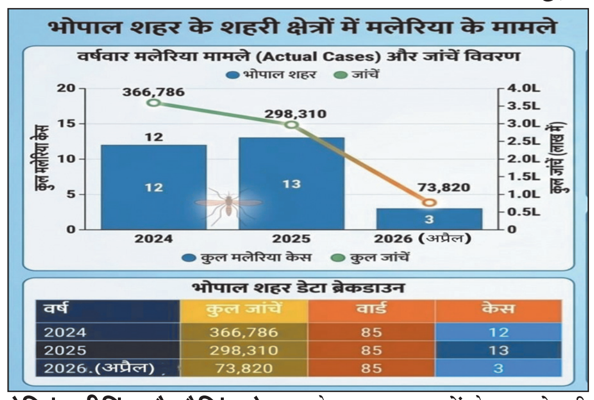

एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है रोग

विशेषज्ञों के अनुसार मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है.यह मच्छर अमूमन साफ और ठहरे हुए पानी में अपने अंडे देता है.जब यह किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो मलेरिया के परजीवी रक्त में मिलकर व्यक्ति को बीमार कर देते हैं.इससे बचाव के लिए घरों के आसपास पानी बिल्कुल भी जमा न होने दें. कूलर, गमले, पुराने टायरों और छतों पर रखे बर्तनों की नियमित सफाई करें.रात में सोते समय मच्छरदानी का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें और पूरी आस्तीन के कपड़े पहनें.बुखार आने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जांच कराएं.

टेस्टिंग, ट्रीटिंग और ट्रैकिंग से होगा नियंत्रण

बता दें कि जिले में कुल 44 विशेष टीमों का गठन किया गया है.ये टीमें टेस्टिंग, ट्रीटिंग और ट्रैकिंग आधारित मॉडल पर कार्य करेंगी. जिसके तहत शहर से लेकर ग्रामीण अंचलों तक सभी संवेदनशील स्थानों पर व्यापक लार्वा सर्वे करेंगी.जहां जलजमाव के कारण मच्छरों के पनपने की आशंका अधिक रहती है.अभियान के दौरान प्रभावित क्षेत्रों में कीटनाशक दवाओं और तेल का छिड़काव भी किया जाएगा.

वहीं जिले में कहीं भी मलेरिया का कोई संदिग्ध मामला सामने आता है, तो त्वरित कार्रवाई बल एक्टिव होगा.पीड़ित मरीज की पूरी ट्रेवल हिस्ट्री खंगालकर रैपिड एक्शन के तहत तत्काल नियंत्रण की कार्रवाई की जाएगी. ताकि संक्रमण को किसी भी स्तर पर फैलने से पूरी तरह रोका जा सके.कार्यक्रम के तहत पूरे महीने में सघन फीवर सर्वे कैंप आयोजित होंगे.साथ ही शिक्षा विभाग के सहयोग से शिक्षण संस्थानों में मलेरिया रोधी सामग्री वितरित होगी.ग्रामीण क्षेत्रों जैसे बैरसिया और गांधीनगर जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में आरडी किट और मलेरिया रोधी दवाएं भी पहुंचाई जाएंगी.

इनका कहना है

जिन क्षेत्रों में मलेरिया का प्रसार कम हो गया है, उन क्षेत्रों में मलेरिया के पुनः प्रसार को रोकने, जन समुदाय को मलेरिया से बचाव और लक्षण के प्रति जागरूक करने का कार्य इस माह के अंतर्गत किया जाएगा.

स्मृति नामदेव, जिला मलेरिया अधिकारी, भोपाल

अवैध कुल्फी फैक्ट्री पर डाला ताला, 10 हजार जुर्माना वसूला

नवभारत संवाददाता

भोपाल, 31 मई. नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के अमले ने रविवार को अवैध रूप से संचालित कुल्फी फैक्टी पर कार्रवाई की. यह फैक्ट्री शहर के भदभदा चौराहा क्षेत्र में संचालित की जा रही थी.

फैक्ट्री पर कार्रवाई करते हुए 10 हजार रुपये का जुर्माना वसूलकर तालाबंदी की. निगम आयुक्त संस्कृति जैन द्वारा शहर में स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य के निर्धारित मानकों का पालन कराने व उनका उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे. इसके पालन में रविवार को जोन 21 के स्वास्थ्य अमले को निरीक्षण के दौरान भदभदा चौराहा स्थित मदरसा एवं मस्जिद के मध्य शेडनुमा भवन में अवैध रूप से कुल्फी की फैक्ट्री संचालित होती पाई गई. जहां पर अत्यंत गंदगी भी मिली. फैक्ट्री में निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है. संचालक शकील खान के विरूद्ध कार्रवाई कर 10 हजार का जुर्माना वसूला,सामान जब्त करते हुए फैक्ट्री पर ताला भी लगाया.

संगठन को धार देने आएंगे चौधरी 4 दिन रहेंगे प्रदेश के दौरे पर

विशेष संवाददाता

भोपाल, 31 मई. मप्र कांग्रेस के प्रभारी एवं विधायक हरीश चौधरी 2 से 5 जून तक प्रदेश के चार दिवसीय संगठनात्मक दौरे पर रहेंगे.

इस दौरान वे पार्टी संगठन को मजबूत बनाने, पदाधिकारियों और जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय बढ़ाने तथा आगामी राजनीतिक चुनौतियों के लिए संगठन को तैयार करने के उद्देश्य से विभिन्न जिलों में बैठकों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल होंगे. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हरीश चौधरी 2 जून को नीमच, 3 जून को मंदसौर, 4 जून को रतलाम और 5 जून को उज्जैन का दौरा करेंगे.प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठकें, विधानसभा प्रभारियों के साथ संवाद तथा ब्लॉक, मंडल और नगर अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे.

कांग्रेस सूत्रों के अनुसार इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य संगठनात्मक ढांचे को और अधिक प्रभावी बनाना, बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाना तथा भविष्य के राजनीतिक अभियानों के लिए मजबूत आधार तैयार करना है.बैठकों में प्रदेश के वरिष्ठ नेता, जिला अध्यक्ष और विभिन्न संगठनात्मक इकाइयों के पदाधिकारी भी शामिल होंगे.

पार्टी नेताओं का मानना है कि इस दौरे से कार्यकर्ताओं में नया उत्साह पैदा होगा और संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक सशक्त बनाने में मदद मिलेगी.

मोटर लगाकर पानी खींचने वालों की मोटरें होंगी जब्त

नवभारत संवाददाता

भोपाल, 31 मई. नगर निगम के जलकार्य शाखा की रविवार को नवीन मुख्यालय भवन के सभागार में समीक्षा बैठक हुई. महापौर परिषद में जलकार्य एवं सीवरेज विभाग के प्रभारी सदस्य एवं अपर आयुक्त तन्मय वशिष्ठ शर्मा ने अध्यक्षता की गई.एमआईसी सदस्य रविन्द्र यति ने प्रमुख मजदूर पीठों पर ठंडे पानी की व्यवस्था स्टॉल के माध्यम से करने की बात कही. शहर में पाइप लाइनों से सीधे मोटर लगाने वालों के विरुद्ध सख्ती के मोटर्स जब्त करने पर जोर दिया. वर्तमान जल प्रदाय व्यवस्था के साथ ही आवश्यकता पड़ने पर वैकल्पिक कार्ययोजना तैयार कर क्रियान्वित करने के लिए भी कहा. सीएम हेल्पलाइन एवं महापौर हेल्पलाइन की शिकायतों को निराकृत करने को कहा. समीक्षा बैठक में अधीक्षण यंत्री उदित गर्ग, नगर यंत्री जेड ए खान मौजूद थे.

अहिल्याबाई होल्कर जयंती पर निकला चल समारोह

▸ पाल समाज द्वारा आमसभा का भी आयोजन किया गया

भोपाल, 31 मई. राजधानी के माता मंदिर क्षेत्र में रविवार को लोकमाता देवी अहिल्याबाई होल्कर की 301वीं जयंती के अवसर पर भक्ति, उत्साह और सामाजिक एकजुटता का अभूतपूर्व नजारा देखने को मिला.

पाल समाज श्रीकृष्ण गोवर्धन गिरिराज मंदिर समिति के तत्वावधान में पाल, बघेल, यादव, ग्वाला और धनगर समाज द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान चल समारोह निकाला गया. इसके बाद परिसर में ही आमसभा का आयोजन किया गया. शाम 5 बजे कार्यक्रम का शुभारंभ पाल समाज श्रीकृष्ण गोवर्धन मंदिर प्रांगण से हुआ. जहां पारंपरिक पूजा-अर्चना के बाद चल समारोह की शुरुआत हुई. शोभायात्रा में विशेष रूप से सजाई गई झांकियां, पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन और लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां मुख्य आकर्षण का केंद्र रहीं.यह चल समारोह मंदिर प्रांगण से प्रारंभ होकर क्षेत्र के विभिन्न प्रमुख मार्गों से होते हुए माता मंदिर सेकंड स्टॉप पर पहुंचा, जहां समापन हुआ.

विशिष्ट अतिथि भोपाल नगर निगम के अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने कहा कि हर साल की भांति इस साल भी पाल, धनगर, यादव और ग्वाला समाज ने मिलकर जिस भव्यता के साथ माता अहिल्याबाई की जयंती मनाई है, वह सामाजिक समरसता का अनूठा उदाहरण है .पार्षद एवं एमआईसी सदस्य जगदीश यादव और क्षेत्रीय पार्षद व जोन अध्यक्ष बृजुला सचान ने भी अपने विचार व्यक्त किए .

आमसभा में मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक भगवान दास सबनानी ने कहा कि देवी अहिल्याबाई होल्कर केवल एक शासक नहीं, बल्कि लोकमाता के रूप में देश और दुनिया में अपने उल्लेखित और जनकल्याणकारी कार्यों के लिए जानी जाती हैं. उन्होंने पूरे देश में बिखर चुके सनातन सांस्कृतिक केंद्रों और मंदिरों का जीर्णोद्धार कराकर जो अनुकरणीय व सराहनीय कार्य किया, वह इतिहास में अमर है.आज हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेकर समाज और राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी तय करनी चाहिए. अध्यक्षता कर रहे पाल समाज श्रीकृष्ण गोवर्धन गिरिराज मंदिर समिति के अध्यक्ष महेन्द्र सिंह बघेल ने कहा कि देवी अहिल्याबाई होल्कर एक महान प्रशासक , समाज सेवक और दूरदर्शी नेतृत्वकर्ता थीं. देश के कोने-कोने में मंदिरों, घाटों और जनसुविधाओं का निर्माण कराकर उन्होंने जो ऐतिहासिक कार्य किए, वे आज भी समाज को एक सही रास्ता दिखाते हुए आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करते हैं.

आधुनिक कृषि का व्यवहारिक अनुभव किसानों को दें

राज्यपाल पटेल ने किया केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान का अवलोकन

भोपाल, 31 मई. राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा है कि वैज्ञानिक आधुनिक कृषि तकनीक का व्यवहारिक अनुभव किसानों को दें. केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान द्वारा आस-पास के क्षेत्रों के किसानों को केंद्र में आमंत्रित किया जाना चाहिए.

राज्यपाल ने कहा कि किसानों को उनके सामर्थ्य और आवश्यकता के अनुरूप उपयोगी आधुनिक तकनीकों के बारे में बताया जाए. उन्हें कृषि यंत्रों का व्यवहारिक प्रशिक्षण भी दिया जाए, ताकि किसान इनका स्वयं उपयोग करने में सक्षम हो सके.उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के साथ 'मन की बात' केवल एक रेडियो कार्यक्रम नहीं, हमारे पूरे राष्ट्र की सामूहिक चेतना, शक्ति और संकल्प का प्रतीक है. राज्यपाल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'मन की बात' कार्यक्रम के पूर्व किसानों और कृषि वैज्ञानिकों को संबोधित कर रहे थे.

राज्यपाल ने कृषि वैज्ञानिकों को बदलते परिवेश में खेती पर होने वाले मौसम के प्रकोप को सहने और फसलों की सुरक्षा करने की क्षमता बढ़ाने में किसानों की सहायता करने पर विशेष बल दिया. राज्यपाल कार्यक्रम के पूर्व केंद्र में विकसित किए गए आधुनिक उपकरण आधुनिक कृषि उपकरणों और तकनीक का अवलोकन किया. कृषि वैज्ञानिकों का उत्साह वर्धन किया और कहा कि कृषक उपयोगी यंत्रों और तकनीक के विकास को देखकर उन्हें प्रसन्नता हुई है.

राज्यपाल के साथ किसानों, कृषि वैज्ञानिकों के साथ 'मन की बात' के सामूहिक श्रवण कार्यक्रम का आयोजन रविवार को केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान के सभागार में किया गया था. संचालक कृषि कल्याण उमाशंकर भार्गव भी मौजूद थे. केंद्र के निदेशक सी.आर. मेहता ने स्वागत उद्बोधन में नवाचार की जानकारी दी. आभार के.एन. अग्रवाल ने माना.

परिवीक्षाधीन उप जिलाध्यक्षों को दिया व्यवहारिक प्रशिक्षण

भोपाल, 31 मई. प्रदेश में सुशासन, प्रभावी प्रशासनिक समन्वय एवं कानून-व्यवस्था प्रबंधन को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में मप्र पुलिस अकादमी द्वारा परिवीक्षाधीन उप जिलाध्यक्षों के लिए आयोजित पांच दिवसीय परिचयात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हुआ.

कार्यक्रम का उद्देश्य नवागत प्रशासनिक अधिकारियों को पुलिस व्यवस्था, कानून-व्यवस्था प्रबंधन तथा विभिन्न संवेदनशील परिस्थितियों में पुलिस एवं प्रशासन की संयुक्त भूमिका से व्यवहारिक रूप से परिचित कराना था. प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को पुलिस एवं प्रशासन के मध्य समन्वय, पुलिस एक्ट, वी.वी.आई.पी. ड्यूटी एवं कवरेज, निर्वाचन संबंधी व्यवस्थाएं, सांप्रदायिक तनाव की स्थिति में पुलिस-प्रशासन की भूमिका एवं कार्यवाही सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विशेषज्ञ अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया. कार्यक्रम में प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक एवं परिवीक्षाधीन उप जिलाध्यक्षों के मध्य बलवा ड्रिल की संयुक्त कार्यवाही का व्यावहारिक प्रदर्शन भी आयोजित किया गया, जिसमें कानून एवं व्यवस्था की स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने की रणनीतियों का प्रदर्शन किया गया.

कार्यक्रम का समापन उपनिदेशक मप्र पुलिस अकादमी संजय कुमार अग्रवाल की उपस्थिति में संपन्न हुआ. इस अवसर पर सहायक निदेशक रश्मि पाण्डेय, श्रीमती यास्मीन जहरा, ज्योति उमठ , उप पुलिस अधीक्षक नीरज नामदेव, अनिल कुमार सिंह , नारायण चौधरी, सूबेदार विजय गौर उपस्थित रहे.

जिला चिकित्सालय में तंबाकू निषेध सप्ताह शुरू

नवभारत संवाददाता

भोपाल, 31 मई. जिला चिकित्सालय में रविवार को तंबाकू निषेध सप्ताह का शुभारंभ किया गया. इस अवसर पर राष्ट्रीय तंबाकू व्यसन मुक्ति केंद्र के जिला नोडल अधिकारी डॉ. ज्योतिर्मय चक्रवर्ती, समेत अनेक डॉक्टर उपस्थित रहे. कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया. शहर में एंबुलेंस के माध्यम से शहर में तंबाखू निषेध जागरूकता अभियान चलाया जाएगा. एएनसी वार्ड में चेकअप के लिए आई महिलाओं की काउंसलिंग की गई. डॉ. प्रीति देवपुजारी ने बताया कि खैनी-गुटखा की जगह सौंफ, अदरक, नींबू-पानी, गुड़-मूंगफली जैसे सुरक्षित विकल्प अपनाएं.

टीटी नगर के कैचमेंट में आज चलेगा बुलडोजर

नवभारत संवाददाता

भोपाल, 31 मई. बड़े तालाब के कैचमेंट में अतिक्रमण की कार्रवाई डेढ़ महीने बाद एक बार फिर सोमवार से टीटी नगर वृत्त के केचमेंट से शुरू की जाएगी. एसडीएम अर्चना शर्मा के अनुसार टीटी नगर क्षेत्र में आने वाले कैचमेंट एरिया में 22 अतिक्रमणों को हटाया जाना है. इसमें नगर निगम प्रशासन का सहयोग लिया जाएगा. निजी भूमि पर बिना अनुमतियों के अतिक्रमण किया गया है. इधर सोमवार को बैरागढ़ नजूल कार्यालय में बड़ी झील के कैचमेंट एरिया में हुए अतिक्रमणों को हटाने को लेकर एसडीएम रविशंकर राय, तहसीलदार हर्ष विक्रम सिंह की मौजूदगी में बैठक होगी.

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(महारत्न कंपनी)

एमटीओ एग्रीगेटर की नियुक्ति

मध्य प्रदेश में मिनरल टर्पेन्टाइन ऑयल (एमटीओ) की बिक्री के लिए पीओएल एग्रीगेटर के तौर पर चयन हेतु पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पात्रता, चयन मानदंड, स्थान, आवेदन का प्रारूप आदि की जानकारी यहाँ उपलब्ध है:

https://hindustanpetroleum. com/pages/advertisements.

अंतिम तिथि: 16 जुलाई 2026 (17:00 बजे)

कोई भी अतिरिक्त जानकारी/शुद्धीपत्र वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

/hpcl/ /hpcl/ /hpcl/ /@Hindustan Petroleum Corporation Limited
www.hindustanpetroleum.com
LiFE Lifestyle for Environment

यूग्रो कैपिटल लिमिटेड

बी-17, चौथी मंजिल, आर्ट गिल्ड हाउस, फीनिक्स मार्केट सिटी, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई- 400070

मांग नोटिस

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("नियम") के प्रावधानों के तहत

अधोहस्ताक्षरी, अधिनियम के तहत यूग्रो कैपिटल लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते और अधिनियम की धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नियम 3 के साथ पढ़ा जाए, अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस जारी करता/करती हूं, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ता/उधारकताओं को संबंधित नोटिस में उल्लिखित राशि को उक्त नोटिस की प्राप्ति तिथि से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया है। अधोहस्ताक्षरी का यह मानना है कि उधारकर्ता मांग नोटिस की तामील से बच रहे हैं, इसलिए नियमों के अनुसार नोटिस को चिपकाकर और प्रकाशित करके तामील की जा रही है। मांग नोटिस की सामग्री नीचे दी गई है:

उधारकर्ता का नाम	मांग सूचना की तिथि और राशि
1) विजय राज मोबाइल एवं जूस सेंटर प्रो. विजय तालेड़ा, 2) विजय तालेड़ा, 3) ज्योति तालेड़ा, 4) रश्मि तालेड़ा, 5) विशाल तालेड़ा, 6) राजेश तालेड़ा, लैन - UGBTLSS0000084912	मांग नोटिस की तिथि: 25 मई 2026 नोटिस राशि: रू. 1,90,40,015.00/- (एक करोड़ नब्बे लाख चालीस हजार पन्द्रह मात्र) 19/05/2026 तक।

सुरक्षित संपत्ति का विवरण - (1) भाग (क): प्लॉट सं. 8/201, मौजा नजूल टाउन गणेश वार्ड 27(एफ), नजूल शीट सं.26, तहसील एवं जिला बेतूल, मध्य प्रदेश। प्लॉट का क्षेत्रफल 750 वर्ग फुट या 69.70 वर्ग मीटर। मकान सहित भूमि, जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: उत्तर - नजूल प्लॉट सं. 8/121 (गली), दक्षिण - नजूल प्लॉट सं.8/128 (कॉलोनी रोड), पूर्व - नजूल प्लॉट सं. 8/126, पश्चिम - नजूल प्लॉट सं. 8/198।
(2) भाग (ख): प्लॉट सं.8/198, मौजा नजूल टाउन, गणेश वार्ड 27(एफ), नजूल शीट सं.26, तहसील एवं जिला बेतूल, म.प्र.। प्लॉट का क्षेत्रफल 375 वर्ग फुट। 34.84 वर्ग मीटर या 34.84 वर्ग मीटर भूमि, जिसमें मकान बना हुआ है और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: उत्तर - नजुल प्लॉट सं. 8/121 (गली), दक्षिण - नजुल प्लॉट सं. 8/128 (कॉलोनी रोड), पूर्व - नजुल प्लॉट सं. 8/126, पश्चिम - नजुल प्लॉट सं. 8/127।

उधारकर्ता(ओं) को सूचित किया जाता है कि वे मांग नोटिस का पालन करें और उसमें और ऊपर उल्लिखित मांग राशि का भुगतान इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर, लागू ब्याज, विलंब शुल्क, बाउंस शुल्क, लागत और व्यय आदि सहित, भुगतान की प्राप्ति की तिथि तक करें। उधारकर्ता(ओं) को यह ध्यान रखना चाहिए कि यूग्रो कैपिटल लिमिटेड एक सुरक्षित ऋणदाता है और उधारकर्ता(ओं) द्वारा लिया गया ऋण अचल संपत्ति(यों) के विरुद्ध एक सुरक्षित ऋण है, जो उधारकर्ता(ओं) द्वारा यूग्रो कैपिटल लिमिटेड के पास गिरवी रखी गई सुरक्षित परिसंपत्ति(यों) हैं।
यदि उधारकर्ता निर्धारित समय के भीतर अपने सभी दायित्वों का पूर्ण भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो यूग्रो कैपिटल लिमिटेड अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत सभी अधिकारों का प्रयोग करते हुए सुरक्षित परिसंपत्तियों पर कब्जा करने के लिए अधिकृत होगा, जिसमें बिक्री के माध्यम से उनका हस्तांतरण करना या अधिनियम और उसके अंतर्गत नियमों के तहत उपलब्ध किसी अन्य उपाय का उपयोग करना शामिल है, ताकि उधारकर्ता के ऋण खाते में बकाया राशि की वसूली की जा सके। यूग्रो कैपिटल लिमिटेड को बिक्री या हस्तांतरण के अधिकार को लागू करने से पहले सुरक्षित परिसंपत्तियों को कुर्क करने और/या सील करने का भी अधिकार है। सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री के बाद, यूग्रो कैपिटल लिमिटेड को बकाया राशि की वसूली के लिए अलग से कानूनी कार्यवाही शुरू करने का भी अधिकार है, यदि सुरक्षित परिसंपत्तियों का मूल्य उधारकर्ता द्वारा यूग्रो कैपिटल लिमिटेड को देय राशि को कवर करने के लिए अपर्याप्त है। यह उपाय यूग्रो कैपिटल लिमिटेड को किसी अन्य कानून के तहत उपलब्ध सभी अन्य उपायों के अतिरिक्त और स्वतंत्र है।
ऋणकर्ता(ओं) का ध्यान अधिनियम की धारा 13(8) की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें सुरक्षित परिसंपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय का उल्लेख है, और अधिनियम की धारा 13(13) की ओर भी, जिसके तहत ऋणकर्ता(ओं) को यूग्रो कैपिटल लिमिटेड की पूर्व लिखित सहमति के बिना सुरक्षित परिसंपत्तियों का निपटान या उनसे संबंधित किसी भी लेन-देन करने या उन्हें बिक्री, पट्टे या किसी अन्य माध्यम से (व्यवसाय के सामान्य क्रम के अलावा) हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है। उपरोक्त का अनुपालन न करना अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध है। मांग नोटिस की प्रति अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध है और ऋणकर्ता(ओं) यदि चाहें तो अधोहस्ताक्षरी से इसे प्राप्त कर सकते हैं।

दिनांक: 01.06.2026
स्थान: बैतूल

एसडी/- (अधिकृत अधिकारी), यूग्रो कैपिटल लिमिटेड

In The Court Of Principal Judge, Family Court, District Court, Damoh
Presiding Officer: मोहम्मद अजहर
(आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत प्रकाशन हेतु)
(RCSHM/198/2024)

विनोद....... वादी
Vs
नीलम........ प्रतिवादी

Process Id- 569/2026

प्रेषिती- पेशी दिनांक :- 19/06/2026

श्रीमती नीलम करोसिया पति विनोद करोसिया उम्र 38 वर्ष पिता. अनिल नरवारे कांपलेक्स के बाजू में निवासी-जहांगीराबाद बापू कॉलोनी, मकान नं. 28, थाना जहांगीराबाद जिला भोपाल

यह कि प्रार्थी ने आपके विरूद्ध आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 13 हिंदू विवाह अधिनियम के लिए वाद संस्थित किया है आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात हाजिर होने के लिये सम्मन किया जाता है आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर अधिवक्ता द्वारा उपसंजात हो सकते है, जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद में संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मूजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावें यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो अगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जायेगा।

यह आज दिनांक 22 .05 .2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया है।

सील

(मोहम्मद अजहर)
प्रधान न्यायाधीश,
कुटुम्ब न्यायालय दमोह (म.प्र.)

आयोजन ▸ टिकाऊ शहरी आवासों का निर्माण विषय पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन भोपाल में हुआ

पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली को अपनाएं : विशेषज्ञ

नवभारत न्यूज

भोपाल, 31 मई. 'मेनस्ट्रीमिंग-एलआईएफई: पर्यावरण अनुकूल टिकाऊ शहरी आवासों का निर्माण' विषय पर प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन भोपाल में आयोजित किया गया.

सोसायटी ऑफ नेचर हीलर्स, कंजर्वेटर्स एंड लोकल टूरिज्म डेवलपमेंट (एसएनएचसी इंडिया) तथा मध्यप्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड ने दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन संयुक्त रूप से किया. एपको (एनवाइरन-मेंटल प्लानिंग एंड को-ऑर्डिनेशन ऑर्गनाइजेशन) में आयोजित इस सम्मेलन में देशभर के प्रमुख वैज्ञानिक, पर्यावरणविद, शहरी योजनाकार, नीति विशेषज्ञ और जमीनी स्तर पर कार्यरत संगठन शामिल हुए.

सम्मेलन का उद्देश्य तेजी से बढ़ते शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बीच जैव-विविधता संरक्षण, पर्यावरण-अनुकूल विकास और टिकाऊ शहरी नियोजन को बढ़ावा देना था.विशेषज्ञों ने इस बात पर बल दिया कि शहरों के विकास मॉडल में प्रकृति और स्थानीय पारिस्थितिकी को केंद्र में रखना समय की आवश्यकता है. सम्मेलन में यह स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आया कि जलवायु परिवर्तन और तेजी से बढ़ते शहरीकरण की चुनौतियों का समाधान केवल बुनियादी ढांचे के विस्तार से नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ संतुलित विकास मॉडल अपनाकर ही संभव है.विशेषज्ञों ने पर्यावरण-अनुकूल जीवनशैली को जन-आंदोलन बनाने और शहरी विकास के केंद्र में जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी को स्थान देने का आह्वान किया. दिल्ली विश्वविद्यालय के सीईएमडीई के प्रो. डॉ. फैयाज़ ए. खुसरो ने कहा कि दिल्ली सहित देश के अनेक शहरों में बढ़ते प्रदूषण और पर्यावरणीय संकट शहरी नियोजन के लिए गंभीर चेतावनी है. पूर्व विशेष पुलिस महानिदेशक अनुराधा शंकर ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है. सम्मेलन के दूसरे दिन प्रतिभागियों ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का भ्रमण किया.भ्रमण के दौरान विशेषज्ञों ने पारंपरिक ज्ञान, प्रकृति-आधारित जीवनशैली और टिकाऊ विकास के भारतीय दृष्टिकोण पर चर्चा की.

इन्होंने रखे विचार...

तकनीकी सत्रों में इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट बेंगलुरु के जगदीश कृष्णस्वामी, डॉ. चंद्रशेखर एम. बिरादर, वन्यजीव संस्थान देहरादून के डॉ. गौतम तालुकदार तथा अन्य विशेषज्ञों ने शहरी तापमान वृद्धि, हरित क्षेत्रों की कमी, जैव विविधता संरक्षण और शहरी नियोजन में प्रकृति-आधारित समाधानों की आवश्यकता पर विस्तृत विचार रखे.